



2025: CGHC: 45786  
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर  
द्वितीय अपील क्रमांक 254/2006  
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक: 03.09.2025  
निर्णय पारित करने का दिनांक: 09.09.2025

1. **मंगली बाई**, आत्मजा रामसिंह, आयु लगभग 50 वर्ष
2. **(मृत)** सुखवरिया बाई, माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 18-01-2024 के अनुसार  
2(A) **मनोहर सिंह**, आत्मज मुकुटराम, आयु लगभग 50 वर्ष  
2(B) **कोमल सिंह**, आत्मज मुकुटराम, आयु लगभग 49 वर्ष  
दोनों निवासी: ग्राम-पुरानी बस्ती उमरखोही, तहसील-पेण्ड्रा रोड, जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-  
मरवाही (छ.ग.)

-----अपीलार्थीगण/वादीगण

विरुद्ध

**सखाराम**, आत्मज रामसिंह, जाति-गोंड, निवासी: ग्राम-उमरखोही, थाना पेण्ड्रा, तहसील-  
पेण्ड्रा रोड, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

-----प्रत्यर्थी/प्रतिवादी

अपीलार्थी हेतु: श्री धीरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, अधिवक्ता  
प्रत्यर्थी हेतु: श्री सोमनाथ वर्मा, अधिवक्ता

माननीय श्री दीपक कुमार तिवारी, न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

1. यह द्वितीय अपील वादीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अंतर्गत, अपर जिला न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), पेण्ड्रा रोड द्वारा व्यवहार अपील क्रमांक 123-A/02 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.3.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो मूलतः व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, पेण्ड्रा रोड, जिला बिलासपुर द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 28-A/2000 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.10.2001 से उद्धृत हुई है। आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री द्वारा, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को उलट दिया है।



2. विचारण न्यायालय ने वादीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में वाद डिक्री किया था और वाद संपत्ति पर उनके एकमात्र स्वत्व की घोषणा करते हुए यह निर्धारित किया था कि केवल वे ही, स्वर्गीय रामसिंह की पुत्रियाँ होने के नाते, उक्त संपत्ति के उत्तराधिकार की पात्र हैं और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का उक्त संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार का कोई विधिक अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया था कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी स्वर्गीय रामसिंह द्वारा अपने पक्ष में किए गए वैध दत्तक ग्रहण को सिद्ध करने में विफल रहा है। तथापि, आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपील स्वीकार करते हुए, अपीलीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने दत्तक ग्रहण सिद्ध कर दिया है और तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर दिया।

3. यह द्वितीय अपील दिनांक 4.9.2006 को सुनवाई हेतु निम्नलिखित सारवान विधि के प्रश्नों को निर्मित करते हुए स्वीकार की गई थी:

(A) क्या अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के उस निष्कर्ष को उलटने में त्रुटि की है कि प्रतिवादी का अपनी पुत्रियों के साथ स्वर्गीय रामसिंह की संपत्ति में उत्तराधिकार का कोई विधिक अधिकार नहीं है?

(B) क्या अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय यह व्यवस्था देने में न्यायोचित था कि प्रतिवादी सखाराम स्वर्गीय रामसिंह गोंड का विधिक रूप से दत्तक पुत्र है, जबकि सखाराम द्वारा विधि के अनुसार दत्तक ग्रहण की प्रथा को न तो अभिवाक में लिया गया और न ही सिद्ध किया गया, जो उसे उत्तराधिकार का विधिक अधिकार प्रदान कर सकती थी?

4. मामले के आवश्यक तथ्य यह हैं कि स्वीकार्य रूप से दोनों पक्ष 'गोंड' जनजातीय समुदाय से संबंधित हैं। मंगली बाई और स्वर्गीय सुखवरिया बाई दोनों स्वर्गीय रामसिंह की पुत्रियाँ हैं। चूंकि परिवार में कोई पुरुष संतान नहीं थी, इसलिए वादीगण के पिता स्वर्गीय रामसिंह ने प्रतिवादी की माता फूलकुंवर, आत्मजा मोहन सिंह गोंड, निवासी ग्राम नगोई के साथ चूड़ी विवाह किया और वर्ष 1957 के आसपास उन्हें ग्राम उमरखोही ले आए। चूड़ी विवाह के लगभग 12 वर्ष बाद, वर्ष 1969 के आसपास रामसिंह की मृत्यु हो गई और वर्ष 1984 के आसपास फूलकुंवर की मृत्यु हो गई। फरसू के साथ अपने पूर्व विवाह से, फूलकुंवर की तीन संतानें थीं, जिनमें प्रत्यर्थी/प्रतिवादी सखाराम और उसकी दो बहनें श्यामकुंवर और रामकुंवर शामिल थीं। फूलकुंवर तीनों बच्चों को अपने साथ लाई थी। यह भी निर्विवाद है कि वाद संपत्ति स्वर्गीय रामसिंह की पैतृक संपत्ति है, जो ग्राम उमरखोही, तहसील पेण्ड्रा रोड में स्थित है। अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपने पिता स्वर्गीय रामसिंह के एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी के रूप में स्वत्व की घोषणा और यह अतिरिक्त घोषणा



चाहने हेतु व्यवहार वाद प्रस्तुत किया कि वाद संपत्ति में प्रतिवादी का कोई विधिक अधिकार या हित नहीं है और उसने अवैध रूप से राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

5. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने अपने लिखित कथन में कहा कि उसकी माता फूलकुंवर ने स्वर्गीय रामसिंह के साथ इस शर्त पर चूड़ी विवाह किया था कि वह प्रतिवादी को गोद लेंगे और इसके पश्चात प्रतिवादी को स्वर्गीय रामसिंह द्वारा गोद ले लिया गया था। प्रतिवादी की माता फूलकुंवर ने विवाह के लिए यह शर्त भी रखी थी कि स्वर्गीय रामसिंह प्रतिवादी की दोनों बहनों, श्यामकुंवर और रामकुंवर का भरण-पोषण करेंगे और उनका विवाह अपनी सगी पुत्रियों की तरह संपन्न कराएंगे। स्वर्गीय रामसिंह ने उक्त शर्त का पालन किया और ग्राम पंचों के समक्ष प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को गोद लिया तथा उस अवसर पर भोज का आयोजन भी किया। यह भी अभिकथन किया गया है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का नाम वादीगण की जानकारी और सहमति से विधिवत राजस्व अभिलेखों में नामांतरित किया गया था।
6. विचारण न्यायालय ने, पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर, कुल चार **वाद-प्रश्न** निर्मित किए और यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि प्रतिवादी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि उसे रूढ़िगत प्रथाओं के अनुसार वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया था। चूंकि प्रतिवादी यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा कि वह स्वर्गीय रामसिंह का दत्तक पुत्र था, इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्वर्गीय रामसिंह की संपत्ति में उसका उत्तराधिकार का कोई विधिक अधिकार नहीं है और वादीगण, उनकी पुत्रियाँ होने के नाते, उक्त संपत्ति की एकमात्र विधिक वारिस हैं। तदनुसार, वादीगण के पक्ष में वाद डिक्री किया गया।
7. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने, **आक्षेपित निर्णय** द्वारा, यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी यह सफलतापूर्वक सिद्ध करने में सफल रहा कि उसे स्वर्गीय रामसिंह द्वारा वैध रूप से गोद लिया गया था और वह वादीगण के साथ समान हिस्से का हकदार था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वादीगण ने **मौखिक विभाजन** के लिए अपनी सहमति दी थी, जिसके अनुसरण में **सहमति पत्र (बंटवारानामा) (प्रदर्श डी/1)** तैयार किया गया था और वाद संपत्ति वादीगण एवं प्रतिवादी के नाम पर नामांतरित की गई थी। परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कर दिया गया।
8. अपीलार्थीगण/वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने वादीगण के पक्ष में मामला तय करते समय ठोस कारण दिए हैं, क्योंकि कथित दत्तक ग्रहण से संबंधित आवश्यक रस्में न तो अभिवचनों में ली गईं और न ही सिद्ध की गईं। उन्होंने निवेदन किया कि मूल प्रश्न यह है कि क्या कोई वैध दत्तक ग्रहण हुआ था। दत्तक ग्रहण से संबंधित रूढ़ि/प्रथा को



उचित रूप से अभिवचन में नहीं लिया गया है, विशेष रूप से इस संबंध में कि दत्तक ग्रहण किसने प्रभावी किया, दत्तक ग्रहण किस रीति से किया गया, वह किस समय हुआ और किन व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ। यदि पक्षकार किसी रूढ़ि से शासित होते हैं, तो ऐसी रूढ़ि की प्रकृति का विशेष रूप से अभिवचन करना आवश्यक है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम की धारा 11(vi) के तहत निर्धारित 'देने और लेने' की रस्म एक वैध दत्तक ग्रहण के लिए अनिवार्य है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने काशी नाथ (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि विरुद्ध जगन्नाथ<sup>1</sup> के मामले पर भरोसा जताया। अतः, उनका निवेदन है कि विचारण न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुँचा है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी एक वैध दत्तक ग्रहण सिद्ध करने में विफल रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि निर्विवाद रूप से वादीगण स्वर्गीय रामसिंह की एकमात्र पुत्रियाँ हैं और प्रतिवादी-सखाराम, अपनी माता के पूर्व विवाह से उत्पन्न पुत्र होने के नाते, वादीगण के साथ स्वर्गीय रामसिंह की पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का कोई विधिक अधिकार नहीं रखता है और इसलिए, वादीगण को वाद संपत्ति का एकमात्र स्वामी घोषित किया गया था। उन्होंने आगे निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित सुविचारित निष्कर्ष को अपीलीय न्यायालय द्वारा उलट दिया गया, भले ही दत्तक ग्रहण विधि के अनुसार सिद्ध नहीं हुआ था। उन्होंने अंत में निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाए और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल किया जाए।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि **लिखित कथन** में यह स्पष्ट रूप से अभिवचन किया गया है कि प्रत्यर्थी स्वर्गीय रामसिंह का दत्तक पुत्र है। विवाह के समय, प्रतिवादी की माता फूलकुंवर ने यह शर्त रखी थी कि उसके पुत्र को गोद लिया जाएगा। तत्पश्चात, विवाह के एक या दो दिन बाद, ग्राम पंचों के समक्ष, स्वर्गीय रामसिंह द्वारा प्रत्यर्थी को विधिवत गोद लिया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस तथ्य को लगभग 80 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति सुरित सिंह (ब.सा.- 3) द्वारा विधिवत सिद्ध किया गया था। रामसिंह (ब.सा.- 2) ने भी इस तथ्य की गवाही दी कि प्रतिवादी को मौखिक रूप से गोद लिया गया था, क्योंकि गोंड जाति में दत्तक ग्रहण का लिखित होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, दत्तक ग्रहण का तथ्य विधिवत सिद्ध हुआ था और अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को सही रूप से उलट दिया है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया कि रूढ़ि केवल सिद्धांत का विषय नहीं हो सकती, बल्कि उसे हमेशा तथ्य का विषय होना चाहिए और एक रूढ़ि का अनुमान दूसरी रूढ़ि से नहीं लगाया जा सकता। इस प्रतिस्थापना के लिए, उन्होंने सरस्वती



अम्माल विरुद्ध जगदम्बल<sup>2</sup> एवं अन्य के मामले पर भरोसा जताया। वैकल्पिक रूप से, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दत्तक ग्रहण सिद्ध नहीं हुआ है, तो भी स्वीकार्य रूप से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की माता – फूलकुंवर स्वर्गीय रामसिंह की विधिक पत्नी हैं और फूलकुंवर की मृत्यु के बाद, उनके बच्चे – प्रतिवादी/प्रत्यर्थी और उसकी दो बहनें वाद संपत्ति में उनके हिस्से के उत्तराधिकारी होंगे और इसलिए, वादीगण/अपीलार्थीगण वाद संपत्ति के एकमात्र स्वामी नहीं हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि पक्षकार गोंड जाति से संबंधित हैं और इसलिए, **सेन्ट्रल प्रोविन्सेस लॉज एक्ट, 1875** की धारा 6 के अनुसार, न्यायालय 'न्याय, साम्या और शुद्ध अंतःकरण' के अनुसार कार्य करेंगे और उक्त सिद्धांत को तीरथ कुमार एवं अन्य विरुद्ध दादूराम एवं अन्य<sup>3</sup> के मामले में दोहराया गया है। इसमें आगे यह प्रेक्षण किया गया कि जहाँ विधि मौन है और न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है, वहाँ न्यायालय उन सिद्धांतों के अनुसार शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करते हैं जिन्हें न्याय, साम्या और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के रूप में समझा जाता है। उन्होंने अंत में निवेदन किया कि अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को सही रूप से उलट दिया है। अतः, अपील खारिज होने योग्य है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अत्यंत सावधानीपूर्वक अभिलेख का अवलोकन भी किया गया।

11. जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या प्रतिवादी सखाराम स्वर्गीय रामसिंह का विधिक रूप से दत्तक पुत्र है, स्वीकार्य रूप से, पक्षकार गोंड जनजातीय समुदाय से संबंधित हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अंतर्गत निहित प्रावधान के अनुसार, उक्त अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) के अर्थ के भीतर किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अन्यथा निर्देशित न करे।

12. शकुन बाई (विधवा सोमनाथ कुशराम) विरुद्ध सिया बाई (विधवा सोमनाथ) एवं अन्य<sup>4</sup> (भूतपूर्व मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र में रहने वाले गोंड समुदाय के सदस्यों से संबंधित, जो अब पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है) के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उपरोक्त आदेश में मध्य प्रदेश के संबंध में प्रविष्टि संख्या 16 में 'गोंड' जनजाति का उल्लेख है। यह तथ्य निर्विवाद है कि 'गोंड' जनजाति संविधान के अनुच्छेद 342 के अर्थ में एक अनुसूचित जनजाति है

2 AIR 1953 SC 201

3 AIR 2025 SC 119

4 ILR (2002) MP 300



और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 366(25) की परिभाषा के भीतर एक अनुसूचित जनजाति है। इसलिए, न्यायालय उनके विवाह, तलाक, बच्चों की वैधता और उत्तराधिकार से संबंधित उनके व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत संबंधों के संबंध में उनकी रूढ़िगत जीवन पद्धति को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं।

13. भारत में न्यायालयों द्वारा यह विधि सुस्थापित है कि रूढ़ियों को कैसे सिद्ध किया जाना है। रूढ़ि को सिद्ध करने के संबंध में यह मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सलेख चंद विरुद्ध सत्य गुप्ता एवं अन्य<sup>5</sup> के मामले में विचारार्थ आया था। इसके महत्वपूर्ण कंडिका 21 से 27 इस प्रकार हैं:


"21. मुक्का कोने बनाम अम्माकुट्टी अम्माल [AIR 1928 Mad 299 (FB)] में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहाँ सामान्य विधि से भिन्न होने वाली रूढ़ि को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, वहाँ यह सिद्ध करना होता है कि वह लोक नीति के विरुद्ध नहीं है और वह प्राचीन, अपरिवर्तनीय, निरंतर, सुविख्यात है, विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं है और नैतिकता या लोक नीति के विपरीत नहीं है। यह निर्विवाद है कि पुराने हिन्दू विधि के तहत भी, पुरुष संतान के जीवित रहते दत्तक ग्रहण स्पष्ट रूप से निषिद्ध था। इसके अतिरिक्त, मैंने यह प्रेक्षण किया है कि ऐसा दत्तक ग्रहण, यदि किया भी जाता है, तो वह दत्तक ग्रहण की अवधारणा और उसके उद्देश्य के विपरीत और अनुचित होगा। इस विवाद के क्षेत्र में प्रवेश किए बिना कि क्या ऐसी कोई रूढ़ि थी, यह कहा जा सकता है कि यदि ऐसी कोई रूढ़ि थी भी, तो भी वह एक वैध रूढ़ि नहीं थी।"

22. किसी रूढ़ि को स्थापित करने वाले पक्षकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस रूढ़ि का अभिकथन करे और उसे सिद्ध करे जिस पर वह भरोसा करता है। रूढ़ि को सादृश्य द्वारा विस्तारित नहीं किया जा सकता है। इसे आगमनात्मक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए न कि अनुभवसिद्ध पद्धतियों से। रूढ़ि सिद्धांत का विषय नहीं हो सकती बल्कि वह सदैव तथ्य का विषय होनी चाहिए और एक रूढ़ि का अनुमान दूसरी रूढ़ि से नहीं लगाया जा सकता। यह एक सुस्थापित विधि है कि तर्क की समानता द्वारा रूढ़ि का विस्तार नहीं किया जा सकता।



23.जहाँ किसी रूढ़ि का प्रमाण अपेक्षाकृत हाल की अवधि के सीमित उदाहरणों पर आधारित होता है, वहाँ न्यायालय रूढ़ि को सिद्ध मान सकता है ताकि वह वाद के पक्षकारों और उनके माध्यम से दावा करने वालों को बाध्य करे; लेकिन उस स्थिति में वह निर्णय एक संतोषजनक न्याय दृष्टांत नहीं होगा यदि अन्य पक्षकारों के बीच भविष्य के किसी वाद में कथित रूढ़ि के संबंध में अधिक विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी रूढ़ि के अस्तित्व से संबंधित निर्णय किसी अन्य मामले में ऐसी रूढ़ि को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य की पुष्टि करने हेतु स्वीकार्य है। हालाँकि, जहाँ एक रूढ़ि बार-बार न्यायालयों के संज्ञान में लाई जाती है, वहाँ न्यायालय यह मान सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में प्रमाण की आवश्यकता के बिना वह रूढ़ि विधि में समाहित हो गई है।

24.रूढ़ि एक ऐसा नियम है जिसने किसी विशेष परिवार या किसी विशेष वर्ग या समुदाय या किसी विशेष जिले में लंबे उपयोग से विधि का बल प्राप्त कर लिया है। मामले के तथ्यों पर आते हुए, वादी साक्षी-1 (अ.सा.-1) ने न तो स्थानीय रूढ़ि की स्थिति पर और न ही समुदाय की रूढ़ि या प्रथा पर कुछ कहा। वादी साक्षी-2 (अ.सा.-2), मुरारी लाल ने दत्तक ग्रहण की रस्म का गवाह होने का दावा किया, वह पारस राम के पुत्र जगन्नाथ का साला था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने चंद्र भान को गोद लिया था। न्यायालय में गवाही के समय यह गवाह 83 वर्ष का था। उसने न तो स्थानीय रूढ़ि के संबंध में और न ही समुदाय की रूढ़ि के संबंध में एक शब्द भी कहा। जैसा कि अधीनस्थ अपीलिय न्यायालय ने अवलोकन किया, वादी साक्षी-3 (अ.सा.-3) अपनी गवाही के समय केवल 43 वर्ष का था, जबकि दत्तक ग्रहण लगभग 60 वर्ष पहले हुआ था। उसने निश्चित रूप से रूढ़ि के बारे में बोला है, लेकिन वह उसके व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित नहीं है और यह केवल वादी साक्षी-2, मुरारी लाल द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। उसने स्वयं ऐसी किसी रूढ़ि के बारे में नहीं बताया। इस प्रकार वादी का साक्ष्य हापुड़ टाउनशिप और उसके आसपास या वैश्य समुदाय में प्रचलित प्रथा या रूढ़ि को सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त था।





25. प्रतिवादी साक्षी-3 (ब.सा.- 3) का साक्ष्य केवल एक उदाहरण का संदर्भ देता है। उसके साक्ष्य से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ओम प्रकाश ने मुन्ना लाल को गोद लिया था, जो उसकी सगी बहन का पुत्र था। जैसा कि ऊपर पहले ही बताया गया है, विचारण न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी साक्षी-3 (ब.सा.- 3) का साक्ष्य इतना स्पष्ट और असंदिग्ध नहीं था कि इस निष्कर्ष के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके कि मुन्ना लाल ओम प्रकाश की सगी बहन का पुत्र था। इसके अलावा, अपनी बहन के पुत्र को गोद लेने का यह एकमात्र उदाहरण 'लंबे उपयोग' की श्रेणी में नहीं आ सकता, जिसे विधि का बल प्राप्त हो गया हो। मुन्ना ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की है कि जहाँ साक्ष्य यह दिखाते हैं कि अनेक उदाहरणों में रूढ़ि मान्य नहीं थी, वहाँ रूढ़ि को सिद्ध नहीं माना जा सकता। एक रूढ़ि अपनी शक्ति लंबे उपयोग के साक्ष्य से प्राप्त करती है जिसे विधि का बल प्राप्त हो चुका हो। सिद्ध करने के लिए केवल इतना आवश्यक है कि उस प्रथा पर व्यवहार में इतनी लंबी अवधि तक और ऐसी अपरिवर्तनीयता के साथ अमल किया गया हो जिससे यह स्पष्ट हो कि वह, सर्वसम्मति से, किसी विशेष इलाके या समुदाय के शासी नियमों को स्थापित करने के लिए स्वीकार कर ली गई है।

26. एक रूढ़ि, बाध्यकारी होने के लिए, अपनी शक्ति इस तथ्य से प्राप्त करती है कि लंबे उपयोग से उसने विधि का बल प्राप्त कर लिया है, लेकिन अंग्रेजी नियम कि "एक रूढ़ि, विधिक और बाध्यकारी होने के लिए, इतने लंबे समय से उपयोग में होनी चाहिए कि मनुष्य की स्मृति इसके विपरीत न हो," को भारतीय परिस्थितियों में सख्ती से लागू नहीं किया जाना चाहिए। सिद्ध करने के लिए केवल इतना आवश्यक है कि उस प्रथा पर व्यवहार में इतनी लंबी अवधि तक और ऐसी अपरिवर्तनीयता के साथ अमल किया गया हो जिससे यह स्पष्ट हो कि वह, सामान्य सहमति से, किसी विशेष इलाके के स्थापित शासी नियम के रूप में स्वीकार कर ली गई है।

27. एक रूढ़ि को जनजाति या परिवार के उन सदस्यों द्वारा इसके अस्तित्व के संबंध में दिए गए सामान्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता



है, जो स्वाभाविक रूप से इसके अस्तित्व और बिना किसी विवाद के इसके पालन से परिचित होंगे, और ऐसे साक्ष्य पर तब सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है जब वह रूढ़ि के सार्वजनिक रिकॉर्ड जैसे कि 'रिवाज-ए-आम' या 'रूढ़िगत विधि की नियमपुस्तिका' द्वारा समर्थित हो।"

14. उपरोक्त सुस्थापित विधि के सिद्धांत (सलेख चंद, पूर्वोक्त ) के आलोक में, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि रूढ़ि स्थापित करने वाले पक्षकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस रूढ़ि का अभिकथन करे और उसे सिद्ध करे जिस पर वह भरोसा करता है। रूढ़ि को सादृश्य द्वारा विस्तारित नहीं किया जा सकता है। इसे आगमनात्मक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए न कि अनुभवसिद्ध पद्धतियों से। रूढ़ि सिद्धांत का विषय नहीं हो सकती बल्कि वह सदैव तथ्य का विषय होनी चाहिए और एक रूढ़ि का अनुमान दूसरी रूढ़ि से नहीं लगाया जा सकता। यह एक सुस्थापित विधि है कि तर्क की समानता द्वारा रूढ़ि का विस्तार नहीं किया जा सकता।

15. इसी प्रकार, रतनलाल विरुद्ध सुंदरबाई गोवर्धनदास सामसुखा (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य<sup>6</sup> के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रूढ़ि के विषय का विस्तार से परीक्षण किया है। इसके महत्वपूर्ण कंडिका 13, 14, 15, 16, 17 और 18 प्रासंगिक हैं, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:

"13. भारत में मतभेद और विविधता के सम्मान की एक मजबूत परंपरा है जो हिंदू पारिवारिक कानूनों में परिलक्षित होती है, क्योंकि यह दक्षिणी छोर से उत्तरी पर्वतों तक, पश्चिमी मैदानों से पूर्वी पहाड़ियों तक रहने वाले विविध समुदायों पर लागू होती है। हमारे देश की विविधता अपने साथ विभिन्न रूढ़ियां लाती है जो यह परिभाषित करती हैं कि भारत क्या है। विधि इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है और कभी-कभी समाज को विधि की नींव के भीतर रूढ़ियों द्वारा शासित होने की अनुमति देता है। यह सर्वविदित है कि एक रूढ़ि अपनी वैधता राज्य द्वारा निर्मित विधि के प्राधिकार से नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वीकृति और मान्यता से प्राप्त करती है। इस न्यायालय ने ठाकुर गोकल चंद बनाम प्रवीण कुमारी, AIR 1952 SC 231 में एक वैध रूढ़ि के तत्वों को निम्नलिखित तरीके से समझाया है—



"एक रूढ़ि, बाध्यकारी होने के लिए, अपनी शक्ति इस तथ्य से प्राप्त करती है कि लंबे उपयोग से उसने विधि का बल प्राप्त कर लिया है, लेकिन अंग्रेजी नियम कि "एक रूढ़ि, विधिक और बाध्यकारी होने के लिए, इतने लंबे समय से उपयोग में होनी चाहिए कि मनुष्य की स्मृति इसके विपरीत न हो," को भारतीय परिस्थितियों में सख्ती से लागू नहीं किया जाना चाहिए। सिद्ध करने के लिए केवल इतना आवश्यक है कि उस प्रथा पर व्यवहार में इतनी लंबी अवधि तक और ऐसी अपरिवर्तनीयता के साथ अमल किया गया हो जिससे यह स्पष्ट हो कि वह, सामान्य सहमति से, किसी विशेष इलाके के स्थापित शासी नियम के रूप में स्वीकार कर ली गई है।"

ब्लैक'स लॉ डिक्शनरी रूढ़िगत विधि को ऐसी "रूढ़ियों के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें विधिक आवश्यकताओं या आचरण के अनिवार्य नियमों, प्रथाओं और विश्वासों के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो एक सामाजिक और आर्थिक प्रणाली का इतना महत्वपूर्ण और अंतर्निहित हिस्सा हैं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि वे विधि हों।"

प्रिवी काउंसिल ने द कलेक्टर ऑफ मद्रा बनाम मुट्टू रामलिंगा सेतुपति, 12 MIA 397 (1868) में यह प्रेक्षण किया है कि "हिन्दू विधि प्रणाली के अंतर्गत, प्रथा का स्पष्ट प्रमाण विधि के लिखित पाठ से अधिक प्रभावी होगा।"

14. अधिनियम की धारा 2(क) के तहत सुस्थापित विधि के अनुसार, एक वैध रूढ़ि स्थापित करने के लिए निम्नलिखित घटक अनिवार्य हैं—

क. निरंतरता

ख. निश्चितता

ग. दीर्घ उपयोग

घ. और युक्तियुक्तता



चूंकि रूढ़ियां, जब अभिवचन की जाती हैं, तो वे प्रायः सामान्य विधि से भिन्न होती हैं, इसलिए उन्हें कड़ाई से सिद्ध किया जाना चाहिए। सामान्यतः, यह उपधारणा होती है कि विधि ही प्रभावी है और जब रूढ़ि का दावा ऐसी सामान्य उपधारणा के विरुद्ध होता है, तब जो कोई भी किसी रूढ़ि के अस्तित्व का तर्क प्रस्तुत करता है, उसे उसकी सभी अनिवार्यताओं के साथ न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप अत्यंत स्पष्ट और असंदिग्ध रीति से सिद्ध करने का भार वहन करना होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रूढ़ियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे—सामान्य रूढ़ियां, स्थानीय रूढ़ियां और जनजातीय रूढ़ियां आदि, और किसी प्रकार की रूढ़ि को स्थापित करने के लिए सबूत का भार उसके प्रकार और उपयोग की सीमा पर निर्भर करता है। यह दिखाया जाना चाहिए कि कथित रूढ़ि में एक वास्तविक रूढ़ि की विशेषताएं विद्यमान हैं, अर्थात् इसे विधि के बल के रूप में स्वेच्छा से स्वीकार किया गया है, और यह केवल कम या अधिक सामान्य अभ्यास मात्र नहीं है। रूढ़िगत विधि की स्थापना के लिए आवश्यक कार्य बहुल, समान और स्थिर होने चाहिए।

15. रूढ़ि आचरण से विकसित होती है, और इसलिए इसकी वैधता को केवल विधि की अदालतों द्वारा दी गई स्पष्ट स्वीकृति के तत्व से मापना एक भूल है। अधिकांश रूढ़ियों की विशेषता यह है कि वे मूल रूप से उद्भव में गैर-मुकदमेबाजी वाली होती हैं। वे अधिकारों के किसी समायोजित संघर्ष से नहीं, बल्कि समाज की सुविधा से प्रेरित प्रथाओं से उत्पन्न होती हैं। किसी रूढ़ि को मान्यता देने वाला न्यायिक निर्णय प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन इसकी स्थापना के लिए यह अपरिहार्य नहीं है। जब किसी रूढ़ि को 'न्यायिक अवेक्षा' द्वारा सिद्ध किया जाना हो, तो प्रासंगिक परीक्षण यह देखना होगा कि क्या उस रूढ़ि पर उसी क्षेत्राधिकार में वरिष्ठ या समतुल्य क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा इस सीमा तक अमल किया गया है, जो उस न्यायालय को (जिसे इसे लागू करने के लिए कहा गया है) यह मानने के लिए न्यायोचित ठहराता है कि उस क्षेत्र के संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग इसे उन परिस्थितियों के समान परिस्थितियों में बाध्यकारी मानता है जो विचाराधीन हैं। वर्तमान मामले में ऐसा कोई अभिवचन या साक्ष्य नहीं था जो उपरोक्त मानकों के पूरा होने को न्यायोचित ठहरा सके।

16. कुछ न्यायिक निर्णयों का अवलोकन करना अप्रासंगिक नहीं होगा जो इस मामले में उठाए गए विषय पर प्रकाश डालते हैं। रूप चंद बनाम जंबू प्रसाद,



(1910) ILR 32 247 में प्रिवी काउंसिल ने यह अभिनिर्धारित किया कि-

"अभिवचन में कथित रूढ़ि यह थी: 'जैनों के बीच दत्तक ग्रहण कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, और विधि या रूढ़ि के तहत उनके बीच उम्र या विवाह का कोई प्रतिबंध नहीं है।' और यही वह रूढ़ि प्रतीत होती है जिसे उच्च न्यायालय ने अस्तित्व में पाया है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान यह पुरजोर तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में साक्ष्य, जो जैन आबादी के तुलनात्मक रूप से कम केंद्रों तक सीमित है, इतनी व्यापक रूढ़ि को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त था, और इससे संकुचित कोई रूढ़ि न तो अभिवचन में ली गई और न ही सिद्ध की गई। उच्चतम न्यायालय की राय में इन आलोचनाओं में बहुत वजन है, जो वर्तमान मामले को एक असंतोषजनक न्याय दृष्टांत बनाने के लिए पर्याप्त है यदि भविष्य के किसी उदाहरण में कथित रूढ़ि के संबंध में अधिक विस्तृत साक्ष्य प्राप्त होते हैं।"

17. श्योकौरबाई बनाम जेओराज, AIR 1921 PC 77 में प्रिवी काउंसिल ने यह प्रेक्षण किया कि, श्वेतांबर जैनों के बीच पुत्रहीन जैन की विधवा अपने मृत पति के किसी स्पष्ट या निहित प्राधिकार के बिना भी विधिक रूप से उसके लिए एक पुत्र गोद ले सकती है, और दत्तक पुत्र अपने दत्तक ग्रहण के समय वयस्क और विवाहित व्यक्ति हो सकता है। ऐसे दत्तक ग्रहण की वैधता के लिए एकमात्र रस्म दत्तक पुत्र का 'देना और लेना' है।

18. यह स्पष्ट है कि इस मामले में अपीलार्थी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है जिससे यह सिद्ध हो सके कि ऐसी प्रथा ने संबंधित समुदाय के बीच प्रचलित सामान्य रूढ़ि का दर्जा प्राप्त कर लिया है। रूढ़ि, जिस पर अपीलार्थी भरोसा कर रहा है, सबूत का विषय है और इसे अनुभवसिद्ध तर्क या तार्किक और सादृश्य कटौती पर आधारित नहीं किया जा सकता, जैसा कि यहाँ अपीलार्थी द्वारा प्रचारित करने का प्रयास किया गया है। अतः इस विषय का उत्तर अपीलार्थी के विरुद्ध दिया जाता है।"





16. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन के पैरा 14(v) और 14(c) से यह स्पष्ट है कि इस आशय का एक सामान्यीकृत अभिवचन किया गया है कि विवाह के समय, उसकी माता ने स्वर्गीय रामसिंह के समक्ष यह शर्त रखी थी कि वह उसके पुत्र सखाराम को गोद लेंगे और उसे संपत्ति का अधिकार भी प्रदान करेंगे। आगे, उक्त शर्त के अनुसरण में, रामसिंह (मृतक) ने ग्राम पंचों के समक्ष प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को गोद लिया और उनकी सामाजिक रूढ़ियों के अनुसार एक भोज का आयोजन किया। हालांकि, उनके समुदाय के भीतर अपनाई जाने वाली दत्तक ग्रहण की रीति और ढंग के संबंध में विशिष्ट अभिवचनों का अभाव है। अपने प्रति-परीक्षण में, सुरित सिंह (ब.सा.- -3) ने साक्ष्य दिया कि प्रत्यर्थी की माता फूलकुंवर के साथ स्वर्गीय रामसिंह के विवाह के एक या दो दिन बाद, रामसिंह ने प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को अपने पुत्र के रूप में गोद लिया था। इस साक्षी ने आगे कहा कि उसे ग्राम नगोई, जहाँ से प्रत्यर्थी की माता फूलकुंवर को विवाह के बाद लाया गया था, के विवरण के बारे में जानकारी नहीं है। रामसिंह (ब.सा.- -2) द्वारा भी इसी तरह का बयान दिया गया है।

17. यह न्यायालय इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए तर्कों से सहमति व्यक्त करता है। अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों और साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत, यह अत्यंत स्पष्ट है कि प्रतिवादी उस रीति और ढंग को सिद्ध करने में विफल रहा है, जिससे कथित दत्तक ग्रहण हुआ था। अतः, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के उस निष्कर्ष को उलटने में त्रुटि की है, जिसमें सही रूप से यह निर्धारित किया गया था कि प्रतिवादी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि वह स्वर्गीय रामसिंह का विधिक रूप से दत्तक पुत्र है और उसने उनसे संपत्ति के अधिकार प्राप्त किए हैं।

18. तदनुसार, विधि के सारवान प्रश्न (B) का उत्तर अपीलार्थीगण/वादीगण के पक्ष में दिया जाता है।

19. अब विचारार्थ जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या सखाराम, वैध दत्तक ग्रहण सिद्ध करने में विफल रहने के बावजूद, वादीगण के साथ स्वर्गीय रामसिंह की संपत्ति में उत्तराधिकार का विधिक अधिकार रखता है। यह निर्विवाद है कि प्रतिवादी की माता फूलकुंवर स्वर्गीय रामसिंह की विधिक रूप से विवाहित पत्नी थी और स्वर्गीय रामसिंह की मृत्यु के बाद, उसे भी उनके संपत्ति अधिकार प्राप्त हुए थे। वादीगण के साथ उसका नाम भी विधिवत भू-अभिलेखों में नामांतरित किया गया था। यद्यपि प्रतिवादी/प्रत्यर्थी अपने पिता से कोई उत्तराधिकार अधिकार स्थापित करने में विफल रहा है, फिर भी उसने अपनी माता की मृत्यु के



बाद उसके माध्यम से विवादित संपत्ति में अधिकार प्राप्त किए हैं। अतः, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के वैकल्पिक पक्ष में इस न्यायालय को विधिक बल प्राप्त होता है। विचारण न्यायालय ने यह घोषणा करके विधिक त्रुटि की कि वादीगण, स्वर्गीय रामसिंह की पुत्रियाँ होने के नाते, विवादित संपत्ति की एकमात्र स्वत्वाधिकारी हैं। उसने इस तथ्य की भौतिक रूप से अनदेखी की कि स्वर्गीय रामसिंह की पत्नी फूलकुंवर के भी संपत्ति अधिकार थे और उसकी मृत्यु पर, उसकी संतानों – प्रत्यर्थी सखाराम और उसकी दो बहनों श्यामकुंवर और रामकुंवर ने भी अपनी माता के माध्यम से संपत्ति अधिकार प्राप्त किए। उत्तराधिकार के संबंध में कोई रुढ़ि सिद्ध न होने पर भी, उन्हें उनके उत्तराधिकार के अधिकारों से वंचित करना न्याय, साम्या और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

20. हाल ही में, तीरथ कुमार (पूर्वोक्त) के मामले में, 'सेन्ट्रल प्रोविन्सेस लॉज एक्ट, 1875' की धारा 6 की व्याख्या करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहाँ विधि मौन है और न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है, वहाँ न्यायालय उन सिद्धांतों के अनुसार शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करते हैं जिन्हें न्याय, साम्या और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांतों के रूप में समझा जाता है।

21. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, जहाँ तक विधि के सारवान प्रश्न (A) का संबंध है, इस न्यायालय का मत है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस संबंध में विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को सही रूप से अपास्त किया है, क्योंकि अपीलार्थीगण/वादीगण यह सिद्ध करने में विफल रहे कि वे विवादित संपत्ति के एकमात्र स्वत्वाधिकारी हैं।

22. तदनुसार, विधि के सारवान प्रश्न (A) का उत्तर अपीलार्थीगण/वादीगण के विरुद्ध 'नकारात्मक' दिया जाता है, क्योंकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का भी अपनी माता की मृत्यु के बाद विवादित संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार है।

23. परिणामस्वरूप, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को ऊपर दर्शाई गई सीमा तक संशोधित किया जाता है।

24. अपील अंशतः स्वीकार की जाती है और तदनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ डिक्री तैयार की जाए:

अपीलार्थीगण/वादीगण अपने पिता स्वर्गीय रामसिंह द्वारा छोड़ी गई वाद संपत्ति के एकमात्र स्वत्वाधिकारी नहीं हैं। वे प्रतिवादी/प्रत्यर्थी और उसकी बहनों, यथा श्यामकुंवर और रामकुंवर के साथ ऐसी संपत्ति के



संयुक्त स्वत्वाधिकारी हैं, जो उस सीमा तक हिस्से के हकदार हैं, जो अंततः उनकी माता स्वर्गीय फूलकुंवर, जो स्वर्गीय रामसिंह की पत्नी थी, की मृत्यु के कारण उनके पक्ष में हस्तांतरित हुआ है।

सही /-

(दीपक कुमार तिवारी)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

